बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0 :–3/अ0प्र0–01–96/2022 2510 /पटना, दिनांक :– 27-11-23

श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के विरूद्ध जिलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा श्री हिमांशु की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जन प्रतिनिधियों के बीच विवाद/टकराव की स्थिति उत्पन्न होने एवं विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होने का उल्लेख करते हुए इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। साथ ही मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा भी श्री हिमांशु के विरूद्ध निविदाओं का तुलनात्मक विवरणी कई बार पत्र एवं स्मार दिये जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराने, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समाधान यात्रा के दौरान की गयी बैठकों में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मामले का अनुपालन नहीं करने, नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत Surface renewal कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष में इनके द्वारा किये गये कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी रहने इत्यादि से संबंधित आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा विभाग से की गयी।

उक्त आलोक में श्री हिमांशु को विभागीय अधिसूचना संख्या–1895 दिनांक–31.08.2023 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ हीं श्री हिमांशु के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1900 अनु0 दिनांक 01.09.2023 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

इस प्रसंग में श्री हिमांशु के आवेदन दिनांक 15.09.2023 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण सम्यक समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की गहन/विस्तृत जाँच के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत श्री हिमांशु के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

24/11/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–96/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य एवं संगत कागजात की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु0 :– यथोक्त।

24/11/2023.

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–96/2022 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :–आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नवनील कुमार हिमांशु, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय :– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :– यथोक्त।

24/11/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक 3/अ0प्र0–01–96/2022 2510 /पटना, दिनांक :– 27.11.23

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6/5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/11/2023.

विशेष सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:-http://rwd.bih.nic.org,E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com&secy-reo-bih@nic.in